# मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

**आदेश सं.–02/8/20** **दिनांक–**19.08.2020

## आदेश

यह संज्ञान मे आया है कि बीमा कंपनियों द्वारा न्यायाधिकरण के खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड (आरटीजीएस / नेफ्ट) से क्षतिपूर्ति धनराशि ट्रांसफर करते समय रिमार्क / धनराशि भेजने के उद्देश्य के कॉलम में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाती कि ट्रांसफर की जा रही धनराशि किस उद्देश्य (एम.एस.सी.पी.) से संबंधित है जिससे इस न्यायाधिकरण व इस न्यायाधिकरण के बैंक को यह पता नहीं चल पाता की अनेंक धनराशियों में से कौ–कौन सी धनराशि किस–किस एम.ए.सी.पी. की है जिससे याची गण को धनराशि अवमुक्त करने में गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। सभी बीमा कम्पनियों को आदेशित किया जाता है, कि वे इस न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में क्षतिपूर्ति की धनराशि न्यायाधिकरण के खाते में जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट स्थानान्तरित करते समय धनराशि के साथ–साथ संबंधित एम.ए.सी.पी. नम्बर, वर्ष व नाम पक्षकार का उल्लेख्य अवश्य करें। आर.टी.जी.एस./नेफ्ट करने के बाद उसकी रसीद / ट्रांजैक्शन नंबर की सूचना इस न्यायाधिकरण को तत्काल जरिये ई–मेल chandrodayk.121968@up.gov.in , po@mact.in , mactjhansi@gmail.com एवं वाट्सएप 9116201097 पर अवश्य भेजी जाए।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.19 12:43:25 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi